विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता

नरेश दाधीच

भारतीय संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है कि भारत राज्य के निर्माण का संकल्प भारत के लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि भारत राज्य के समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता प्राप्त हो तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सविंधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर सकें। स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हुए उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का विशेष उल्लेख किया गया है।

संविधान सभा में 13 दिसंबर, 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव रखा था जिस पर 22 जनवरी, 1947 तक बहस हुई। नेहरू ने प्रस्ताव को एक प्रतिज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव नहीं एक घोषणा है कि हम आने वाले समय में समाज को किस दिशा में ले जाने वाले हैं। हम भारत को कैसा

बनाना चाहते हैं। संविधान केवल क़ानून की पुस्तिका नहीं होगी यह मानवीय मस्तिष्क में विकसित मूल्यों का संचय होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में कई अन्य प्रावधानों के साथ मूल अधिकार भी सम्मिलित किए गए। संविधान में मूलभूत अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेखित है।

स्वतंत्रता का अधिकार और उसकी पालना किसी भी उदारवादी प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। प्रजातंत्र एवं व्यक्ति के अधिकार इस मूल भावना से जुड़े हैं कि व्यक्ति में आवश्यक विवेक है जो उसको स्वयं पर शासन करने वाले शासक को चुनने की क्षमता रखता है तथा जो अधिकार में व्यक्त होता है। यह अधिकार प्राकृतिक है और आधुनिक सोच का परिणाम है। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे उदारवादी विचारकों ने स्वतंत्रता के अधिकार को सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार माना है। विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता न केवल व्यक्ति को मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है अपितु किसी भी प्रजातंत्र में व्यक्ति की नैतिक शक्ति का प्रमाण है। बीसवीं शताब्दी में वयस्क मताधिकार सभी प्रजातांत्रिक प्रतिमानों में स्थापित हो गया। वोट देने का अधिकार भी विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का राजनीतिक स्वरूप है। लेकिन असल समस्या तब आरंभ होती है जब सरकार प्रजातांत्रिक तरीक़े से चुनने के पश्चात शासन करते समय अपनी विचारधारा के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना चाहती है और उसमें विरोध के स्वर को दबाना चाहती है। विरोध या असहमति के स्वर को दबाने के लिए सरकार राष्ट्रवाद का सहारा भी लेती है। अपने अतिराष्ट्रवादी सोच के कारण अंतरराष्ट्रीयवाद, मानवाधिकार इत्यादि की वकालत को भी देशद्रोह घोषित किया जाता है। आज भारत में विचारों की स्वतंत्रता पर बहस हो रही है। विरोध और असहमति के स्वर को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह तर्क दिया जा रहा है कि असहमतियां-विरोध अपनी संवैधानिक सीमाओं को नहीं लांघें। एक विशेष घटना में यह कौन तय करेगा की विरोध के स्वर राष्ट्रविरोधी हैं। विशेष रूप से ऐसे स्थल पर जो विचारों के आदान-प्रदान और विचार उत्पन्न करने, उन पर बहस करने, उनकी सार्थकता तय करने, उनका विश्लेषण करने के लिए स्थापित हुई है। उदाहरणार्थ विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का अर्थ ही यह है कि जहां पर नए विचारों पर बहस हो या नई व्याख्याएं रची जाएं। अगर हम राष्ट्रवाद की अवधारणा लें तो पाएंगे की समय के अनुसार इसकी व्याख्या बदलती रही है और इसका महत्व भी बनता-बिगड़ता रहा है। सत्रहवीं शताब्दी से आरंभ हुई यह अवधारणा बीसवीं शताब्दी के मध्य में राजनीति की महत्त्वपूर्ण अवधारणा बन गई। दोनों विश्व युद्ध अतिराष्ट्रवाद के परिणाम थे। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका को देखकर टैगोर ने राष्ट्रवाद के दुष्परिणामों के प्रति विश्व को सचेत कराया। गांधी के स्वदेशी आंदोलन की आलोचना करते हुए टैगोर ने कहा कि यह आंदोलन राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित है तथा इसके दूरगामी परिणाम देश के लिए घातक होंगे। भारत अन्य देशों की तुलना में पिछड़ जाएगा इसलिए अंतर्राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहिए।

आज विश्व में यह बहस पुनः महत्त्वपूर्ण हो रही है। हाल ही में ब्रिटेन ने जनमत द्वारा यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फ़ैसला लिया है। यह फ़ैसला दक्षिणपंथी एवं अतिराष्ट्रवादी विचारों की जीत है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प दक्षिणपंथी विचारधारा को नाटकीय तरीक़े से प्रचारित कर रहे हैं। इस अतिवादी राष्ट्रवाद के विस्तार से सबसे अधिक नुक़सान विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का हो रहा है। किसी समय में इस स्वतंत्रता को सर्वाधिक ख़तरा साम्यवाद या फ़ासीवाद से था आज अतिराष्ट्रवाद से है। लेकिन यह ख़तरा अधिक गंभीर है। अतिराष्ट्रवादी ताकतें जनता का वोट लेकर सत्ता में आ रही हैं और लोकशक्ति के समर्थन से व्यक्तियों के विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रही है। आर्थिक असमानताओं के बढ़ने से लोग आक्रोशित होकर तुरंत ही समाधान चाहते हैं और ऐसे लोगों की बढ़ती निराशा से अतिराष्ट्रवादी ताक़तों को

समर्थन मिलता है। प्रसिद्ध उदारवादी विचारक जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में स्वतंत्रता के अधिकार को प्राथमिकता दी है। उसके अनुसार सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। एक अन्य अमेरिकी विचारक फ्रांसिस फुकोयामा के अनुसार–उदारवादी राज्य मानवीय जीवन का सर्वश्रेष्ठ एवं अंतिम राज्य है। इसे हम आंशिक सत्य भी माने तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता उदारवादी राज्य की आवश्यक शर्त है और इसके अभाव में राज्य अन्य किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है।

भारत जैसे देश में स्वतंत्रता सहनशीलता का दूसरा नाम है। भारतीय संस्कृति इतनी विभिन्नताओं से ओतप्रोत है कि उसे किसी एक धर्म, विचार, व्यक्ति से बांधना असंभव है। इसलिए विभिन्नता में एकता हमारा मंत्र रहा है। मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता हमारी संस्कृति का गुण है। सरकारों को दीर्घकालीन वैधता बनाए रखने के लिए असहमति को सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए तथा अपने दृष्टिकोण को व्यापक रखना चाहिए।